

East Central Railway
Medical Department Sonpur
"NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST(EOI)"

No. H/245/2/Empanelment Hospital/Sonpur

Dated-02/03/2026

Application in sealed envelope is invited from all willing CGHS/ECHS/ESI empanelled and Non CGHS/ECHS/ESI Empanelled private Eye Hospitals in terms of Railway Board Guidelines for treatment of railway beneficiaries of East Central Railway, Sonpur for two years for cashless service on CGHS prescribed rates.

Terms and condition for Empanelment of private Hospitals:-
Private Hospitals should submit willingness letter as per following:-

1. Hospitals should be located in the cities Nearby Sonpur
2. Guideline of Railway Board letter No.2016/H-1/11/69 Hospital Recognition, dated-23.12.2016 is annexed (website only).
3. Guideline of Railway Board letter No2014/H-1/19/3/PNM, dated-05.10.2015 (website only).
4. CGHS/ECHS/ESI empanelment certificate must be annexed with willingness letter, if private hospital is empanelled with CGHS/ECHS/ESI.
5. Hospital details as registration certificate, PAN Number, Doctors list, Hospital rate, equipment, Numbers of bed, other hospital details and other facilities should be provided.
6. Willingness for preferential treatment of Railway beneficiaries over patients.
7. Full time specialist doctors service for cataract Surgery, Retina, Glaucoma, pediatric eye etc and allied services should be available. Hospital must be equipped with Normal treatment facility as well as trauma facility.
8. Hospital must have OPD, IPD, Diagnostic center, operation theatre, sterilization and pharmacy equipped with modern facilities for 24 hours service.
9. Guidelines of Railway Board and time to time changes therein should be accepted.
10. The rate to be charged by empanelled hospitals should be as per the CGHS prescribed rate based on the classification of the hospitals or the Hospital tariff, whichever is lower and for those items/procedures/investigations which are not covered under CGHS rate list, the hospital should offer 20% discount on Hospital tariff. 10% discount on Medicine and consumables with free ambulance service should be provided to the Railway beneficiaries.
11. Empanelment will be for two years or till de-empanelled by CGHS, whichever comes first.

The private Hospitals fulfilling the above criteria should apply to the Chief Medical Superintendent, East Central Railway, Sonpur, Post-Sonpur, Distt-Saran (Bihar), Pin-841101 with full description of the Hospital as asked above for the purpose of short listing and empanelment of the private Hospital by Divisional Railway Hospital, Sonpur within 21 days from the date of this advertisement.

Website particular for detailed information-<http://www.ecr.indianrailways.gov.in>

(Dr. Madhu Mala)
Divisional Medical officer
East Central Railway, Sonpur

**पूर्व मध्य रेल
चिकित्सा विभाग, सोनपुर**

"NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)"

संख्या-एच/245/2/सूचीबद्ध चिकित्सालय,

सोनपुर

दिनांक-02/03/2026

पूर्व मध्य रेल/सोनपुर के रेल कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रेलवे बोर्ड के निदेशानुसार सभी इच्छुक सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस.ई.एस.आई. सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस/ई.सी.एच.एस/ई.एस.आई. निजी नेत्र चिकित्सालयों से सी.जी.एच.एस निर्धारित दर पर 02(दो) वर्षों के लिए कैस लेस ईलाज के लिए सीलबन्ध लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

निजी चिकित्सालयों की नामित करने के लिए नियम शर्त :-
निजी चिकित्सालयों को निम्नलिखित प्रकार से अपना स्वेच्छा पत्र देना चाहिए :-

1. चिकित्सालय सोनपुर के आस पास के शहर में अवस्थित होना चाहिए।
2. रेलवे बोर्ड के पत्रांक-2016/H-1/11/69, चिकित्सालय संबद्धता, दिनांक-23.12.2016 का दिशा निर्देश संलग्न है। (केवल वेबसाइट)
3. रेलवे बोर्ड के पत्रांक-2014/H-1/19/3/पी.एन.एम, दिनांक-05.10.2015 का दिशा निर्देश संलग्न है। (केवल वेबसाइट)
4. यदि निजी चिकित्सालय, सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस.ई.एस.आई. द्वारा नामित चिकित्सालय, में है तो उसे स्वेच्छता पत्र के साथ सी.जी.एच.एस/ई.सी.एच.एस.ई.एस.आई. सूचीबद्धता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।
5. पंजीयन प्रमाण पत्र पैन संख्या, चिकित्सको की सूची, चिकित्सा दर, उपस्करों, बेडों की संख्या एवं अस्पतालों में उपलब्ध अन्य प्रकार की सुविधाएँ की जानकारी दी जानी चाहिए।
6. अन्य रोगियों की तुलना में रेल कर्मचारियों के चिकित्सा में प्राथमिकता दिये जाने की स्वेच्छा।
7. चिकित्सालय में पूर्णकालिक नेत्र रोग चिकित्सक जो केटेरेक्ट, ग्लोकोमा, रेटीना, शियु नेत्र आदि में विशेषज्ञ हो, की उपलब्धता होनी चाहिए। के साथ ट्रामा केन्द्र भी होनी चाहिए। अस्पताल में ट्रामा उपचार सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
8. अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओपीडी0 अंतरंग विभाग, ऑपरेशन थियेटर, डायग्नोस्टिक सेंटर स्टर्लाइजेशन, दवा बिक्री केन्द्र से होनी चाहिए।
9. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा।
10. सी.जी.एच.एस. के पैनलबद्ध सभी अस्पतालों द्वारा प्रभावित की जाने वाली दरें अस्पतालों के वर्गीकरण अथवा अस्पताल के टैरिफ, जो भी कम हो के आधार पर सी.जी.एच.एस. के निर्धारित दरों के अनुसार होनी चाहिए और उन मदों/प्रक्रियाओं/जॉबों जो सी.जी.एच.एस. दर सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, के मामले में इच्छुक अस्पतालों को अपने अस्पताल की दरों पर 20% रियायत औषधि तथा अन्य कन्ज्यूमेबल पर 10% रियायत के साथ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा की सुविधा रेलों लाभाधियों को दी जानी होगी।
11. सूचीबद्धता दो वर्षों अथवा जबतक सी.जी.एच.एस द्वारा सूचीबद्धता समाप्त न कर दी जाय, दोनों में से जो पहले हो।

उपरोक्त पात्रता एवं मानदंड को पुरा करने वाले निजी चिकित्सालय की संक्षिप्त सूची एवं निजी अस्पतालों की नामित तैयार करने के लिए उक्त प्रकार के अपने विस्तृत विवरण के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर, पोस्ट-सोनपुर, जिला-सारण, बिहार पिन-841101 के पते पर इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर आवेदन भेज देना चाहिए।

विस्तृत विवरण के लिए वेबसाइट विवरण निम्नलिखित है-<http://www.ecr.indianrailways.gov.in>

(डा० मधु माला)
मंडल चिकित्सा अधिकारी
कृते मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर